4476, 8442, 8454
30/8/13 - 12/2/14 - 13/2/14

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या– 105 /2013–14

कमलेश कुमार चौधरी बनाम सुशील कुमार सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुनने के पश्चात् अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अनुशीलन किया। वस्तुतः प्रस्तुत भूमि विवाद में श्री कमलेश कुमार चौधरी पिता– स्व0 ब्रज किशोर चौधरी साकिन– छोटाईपट्टी थाना– सदर जिला– दरभंगा आवेदक तथा सुशील कुमार सिंह पिता– स्व0 हृदय नारायण सिंह साकिन– छोटाईपट्टी थाना– सदर जिला– दरभंगा विपक्षी पक्षकार हैं। आवेदक के द्वारा दिनांक 04.05.2013 को प्रस्तुत वाद पत्र में उल्लेख किया गया कि रिवीजनल सर्वे खतियान खाता सं0– 747 खेसरा सं0– 1431 का अन्य खेसरेजात के साथ उक्त खेसरा का खाता इनके दादा स्व0 रामऔतार चौधरी पिता– स्व0 रामधारी चौधरी के नाम नया सर्वे बना है जिसका रकवा– 27 डी0 अर्थात 06 कट्ठा बना है जो आवेदक की खतियानी भूमि है जिसपर स्व0 रामऔतार चौधरी पुरी हकियत के साथ शांतिपूर्ण दखल कब्जे में अपने मकान वो सहन के रूप में इस्तेमाल करते चले आये तथा उनके मरणोपरान्त उनके चार पुत्रों (1) ब्रजकिशोर चौधरी (2) राज किशोर सिंह (3) नवल किशोर चौधरी एवं (4) युगल किशोर चौधरी उसी तरह पुरी हकियत के साथ शांतिपूर्ण इजमाल दखल कब्जा में रहते चले आते हैं और ब्रजकिशोर चौधरी के मरणोपरान्त आवेदक एवं आवेदक के एक भाई अखलेश कुमार चौधरी साथ अपने तीन चाचा के शांतिपूर्ण दखल कब्जे में पुरी हकियत के साथ रहते चले आते हैं। आवेदक के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि आवेदक के तीनों चाचा एवं आवेदक के छोटे भाई रोजगार के सिलसिले में बाहर रहा करते हैं और आवेदक भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में योग शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं जिस वजह से कभी कभार घर की देख रेख के लिए आया करते हैं और घर देखभाल का जिम्मा सभी की ओर से आवेदक पर है। जब आवेदक घर गये तो देखे कि विपक्षी द्वारा खाता नं– 747 खेसरा नं0– 1431 की 27 डी0 भूमि जिसके उतर– सड़क, दक्षिण– निज आवेदक, पु0– सुशील कुमार सिंह, पश्चिम– निज आवदेक हैं को कब्जा कर दीवार	

13/02/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	खड़ा कर दिया गया है जिस संबंध में इन्होनें पूछताछ किया और कहा कि मेरी भूमि में बढ़ाकर जो निर्माण कर लिया है, हटा लें, परन्तु विपक्षी द्वारा दिनांक 28.04.2013 को साफ इन्कार कर दिया गया, तदुपरान्त मोकदमा दायर करने की नौबत आई है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत है। आवेदक के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रेंकिंग मशीन सं0– 3355 से दिनांक 04.05.2013 को जमा कर प्रस्तुत किया गया है जो साक्ष्य एवं शपथ पत्र से समर्थित है। आवेदक के द्वारा वाद पत्र के माध्यम से न्यायालय से निम्न अनुतोष पाने का अधिकारी बताया गया :– (क) बगौर आवेदक का खेसरा नया 1431 के पूरब से रकवा को विपक्षी के खेसरा के पश्चिम से अलग कर दिया जाय। (ख) आवेदक के भूमि के जिस रकवे पर आवेदक के पीछे में विपक्षी ने निर्माण करा लिया है उसे खाली कराकर आवेदक को दखल देहानी करा दिया जाय। (ग) विपक्षी को हमेशा–हमेशा के लिए आवेदक की भूमि पर हस्तक्षेप करने से रोक लगा दिया जाय। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए दिनांक 04.05.2013 को ही सुनवाई हेतु प्रतिग्रहित की गयी तथा विपक्षी को उचित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र की प्रति के साथ दिनांक 07.05.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई, तदालोक में विपक्षी कार्रवाई में उपस्थित हुए तथा दिनांक 21.06.2013 को लिखित ब्यान तहरीरी दाखिल करते हुए प्रस्तुत मामले को काफी जटिल होना बताते हुए इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का होना उल्लिखित किया गया तथा इस वाद को खारिज के योग्य होना बयान किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत ब्यान तहरीरी में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि खाता नं0– 747 वो खेसरा नं0– 1431 रकवा– 27 डि0 का जिक्र आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किया गया है, लेकिन जदीद खाता एवं खेसरा किस साबिक खाता वो खेसरा के निर्मित हुआ है तथा पूर्व में जमीन का किस्म क्या था, इसका कोई सबूत आवेदक ने दाखिल नहीं किया है जिससे न्यायालय को न्याय देने में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए विपक्षी द्वारा अनुरोध किया गया कि आवेदक को पुराना खतियान निसवत नया खेसरा नं0– 1431 के दाखिल करने के लिए बाध्य	

10/02/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	किया जाय तथा राजस्व कर्मचारी वो अंचलाधिकारी सदर दरभंगा से विवादित भूमि 1431 के निसवत पुराने खतियान में वर्णित बातों की जानकारी माँगा जाय। विपक्षी द्वारा हकीयत हाल यह बताया गया कि विवादित भूमि खेसरा जदीद 1431 जो साबिक खेसरा 1132 से निर्मित हुआ है, पुराने खतियान में किस्म जमीन गैरमजरूआ आम डबरा है जिस डबरे में गाँव का पानी जमा होता रहा है और उक्त पानी का उपयोग गाँव के लोग घर बनाने, गन्दा कपड़ा साफ करने, मवेशी को पानी पिलाने वो नहाने के काम में लाते रहे हैं, परन्तु ओवदक जो जमीन माफिया है, हाल सर्वे अमला को मेल में लाकर नाजायज ढ़ंग से खाता रामऔतार चौधरी पिता– स्व0 रामधारी चौधरी के नाम से खोलवा कर चौहद्दी के लोगों को परेशान करने लगे, ताकि चौहद्दी के बसिन्दा अपनी जमीन इनके हाथ बेंच डालें। विपक्षी के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि आवेदक पूर्व में जब विवादित भूमि पर मिट्टी करने का काम किये तो गाँव वासियों ने विरोध प्रकट किया जिसकी सूचना अंचलाधिकारी/ थानाध्यक्ष दरभंगा को दी गई, परन्तु उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आवेदन ठण्ढ़े बस्ते में रख दिया गया, चूँकि आवेदक के परिवार के चचेरे भाई श्री अरबिन्द कुमार चौधरी जो आइ0 एस0 अधिकारी है जिनके नाम एवं पद का भय दिखाकर कार्यालय को डरा कर नाजायज फायदा आवेदक उठाना चाहते है, जबकि श्री अरविन्द कु0 चौधरी परिवार की राजनीति से बिल्कुल अलग– थलग रहते हैं। विपक्षी के द्वारा आवेदक के आवेदन में वर्णित तमाम बातों से स्वतः यह स्पष्ट होना उल्लेखित किया गया है कि आवेदक की मंशा विवादित खेसरा पर अपना हक–हकियत न्यायालय द्वारा साबित कराने की है जो बगैर पुरी तहकीकात के किसी प्रकार का आदेश आवेदक के हक में पारित नहीं किया जा सकता है। चूँकि विपक्षी का कहना है कि विवादित भूमि आमजनों के उपभोग में है जिसपर गाँव के बच्चे खेलते कुदते हैं तथा मकान भी सार्वजनिक है, परन्तु बलपूर्वक आवेदक ने अपना कब्जा दिखाने के लिए अपने तसरूफ तथा आम जनों के तसरूफ में लाते रहें है। जबकि विवादित भूमि सरकारी भूमि है और आवेदक द्वारा गलत मोकदमा खड़ा करने की नियत से दीवार बनाने की बात लाया गया है। विपक्षी के द्वारा अपने बयान तहरीरी में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक की भूमि विहार सरकार की भूमि के पूरब है जिसका पुराना खेसरा नं0– 1136 वो 1138 है जिससे	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

नया खेसरा नं0– 1435 बना है जिसपर विपक्षी का मकान मय सहन तथा आँगन, बाड़ी, शौचालय तथा मकान बनाये हुए नीव का निर्माण खरीददारी के बाद की गई है जो विपक्षी के शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है विपक्षी ने कभी भी सरकारी भूमि अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि आवेदक किसी तरह चाहते हैं कि सरकारी भूमि जिसका जदीद खेसरा 1431 जो पुराना खेसरा 1132 से बना है पर कब्जा करके आमजनों को नुकसान पहुँचायें, इस बात की छानबीन न्यायालय द्वारा आवश्यक बताया गया, ताकि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि वास्तव में विवादित भूमि गैरमजरूआ आम, खास, डबरा, पोखर, परती है या नहीं और अगर है तो इसका उचित समाधान न्यायालय द्वारा किया जाय।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों द्वारा वर्णित तथ्यों पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए दिनांक 02.07.2013 के आदेशानुसार पत्रांक 1338/दिनांक 15.07.2013 के माध्यम से अंचलाधिकारी सदर दरभंगा से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में स्थल जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई जिसके अनुपालन में पत्रांक 1312/दिनांक 20.08.2013 के माध्यम से स्थल जाँच प्रतिवेदन अभिलेख पर दिनांक 23.08.2013 को उपलब्ध हुआ जो अभिलेखबद्ध है।

अंचलाधिकारी द्वारा अंचल निरीक्षक से स्थानीय जाँच कराई गई जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि मौजा– छोटाईपट्टी में स्थल जाँचोपरान्त पाया कि वादी कमलेश कु0 चौधरी का घर विवादित जमीन से पश्चिम से है एवं प्रतिवादी सुशील कु0 सिंह का घर विवादित जमीन से पूरब है और दानों घर के बीच में पानी लगा हुआ है, वादी का कथन है कि स्थल के उतर भाग से वाउण्ड्री एवं पैखाना का कमरा बढ़ाकर प्रतिवादी बना दिया है जिसके कारण विवाद बढ़ा, स्थान का पैमाईस अंचल अमीन से नापी प्रतिवेदन आवश्यक प्रतित होता है। आवेदन में वर्णित किया गया है खाता सं0– 747, खेसरा सं0– 1431 रकवा– 27 डी0 है लेकिन ओवदन में पुराना खाता एवं खेसरा की माँग किया गया है, परन्तु हल्का कार्यालय में पुराना खतियान नष्ट हो गया है। वादी को पुराना खतियान उपलब्ध करवाने को कहा गया लेकिन उपलब्ध नहीं करा सके, लेकिन हल्का कार्यालय में उपलब्ध आम खास पंजी में निम्न प्रकार ब्योरा है :–

खतियान विवरणी

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	नाम रैयत	खेसरा नं0	किस्म जमीन	रकवा
छोइाईपट्टी	423	328	गैरमजरूआ आम	1132	डबरा	29 डी0

08/02/14